

- पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है एवं नियामकसंर आक्षण लागू होगा संविदा पर नियुक्ति की बात निम्नवत् है-
1. संविदा पर नियुक्ति विषय बोनस वारंट आचार्यों का विभाग केन 40-90/2020/सह-आचार्यों का विभाग केन एच 20/2020/- तथा शासकीय पर संख्या एच20/2/2019/1028-29 न मॉडिफिकेशन द्वारा हृदय सहायक आचार्यों का नियुक्ति केन 40-60/2020/प्रमाणित है तथा शासकीय पर संख्या-20/2019/4067/71-1-2017-की-63/2008, संविदागत आचार्यों की संविदा के आधार पर नियुक्ति करने हेतु आचार्यों का निर्धारण संविदागत आचार्यों के 220,000/- अतिरिक्त दिया जायेगा, जो महाविद्यालय एवं कालेज की संसाधन प्रदर्शित है। आदेशक को Medical Council of India, Minimum, Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1999 द्वारा निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
 2. विभिन्न विभागों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अर्थवर्षी अपवर्धन कर संभव है।
 3. एफ0डीआर0 नई दिल्ली द्वारा सहायक-आचार्यों पर के सिव् 01 वर्ष का एच0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
 4. विभिन्न विभागों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ020 राज्य विभिन्न महाविद्यालय अचार्यों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2005 में निर्दिष्ट क अनुसार होगी।
 5. ओ0डी0डी0 के निम्न प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा।
 6. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
 7. कांटे भी विभिन्न विभाग पदों को प्राईवेट न देखने के सिव् काय नही करेगा।
 8. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले विभिन्न विभागों को मंडिकल कालेज में आकरिणक/आपदा संवाधो के सिव् इमेरस उपलब्ध रहना होगा।
 9. उच्च नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत विभिन्न विभागों का अन्य किसी प्रकार के देन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुपलब्ध नहीं होगा।
 10. संविदा पर नियुक्त विभिन्न विभागों की सेवाएं लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित विभिन्न विभागों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा स्तोपजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर नौ समाप्त हो जा सकेंगी है।
 11. विभिन्न विभागों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोपजनक सेवा के परचात लोक सेवा आयोग से चयनित अर्थवर्षी/नियमित विभिन्न विभाग उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोपजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
 12. संविदा पर नियुक्त विभिन्न विभागों के सिव् आधारक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मंडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उच्च कालेजधि में कार्यभार ग्रहण न करने की रक्षा में संविदा नियुक्ति स्वा रक्ष्य फानी जायेंगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे विभिन्न विभागों को कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मंडिकल कालेज के प्रमाणपत्र द्वारा शासन उच्च महानिदेशक, विभिन्न विभाग एवं प्रशिक्षण, उ020 लखनऊ को तत्काल भेजी जायेंगी।
 13. संविदा पर नियुक्त विभिन्न विभाग संविदा कालेजधि के सिव् किसी भी प्रकार के पेशन संबंधी सुविधाओं का इकावर नहीं होगा। उस एम काकावधि के सिव् बोनस देय नहीं होगा।
 14. विभिन्न विभाग शासकीय सेवा में विनिर्वातकीकरण के सिव् इकावर नहीं होगा।
 15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन मुसालन करके समाप्त की जा सकती है।
 16. संविदा पर नियुक्त विभिन्न विभागों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुभव पर में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत विभिन्न विभाग द्वारा अनुभव या करार में इस तथ्य को उल्लेख किया जायेगा कि वह नवीय में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनिर्वातकीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेगा और न ही उन्हें विनिर्वात वेतन व बोनस के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुभव होगी।
 17. साक्षात्कार के समय अर्थवर्षी इस आशय का धारणा/गोप्य पर प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अर्थवर्षी वार प्रवर्धित नहीं है और यदि उनमें विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाये समाप्त कर दी जायेंगी।
 18. उच्च संविदा पदों पर स्थान की प्रक्रिया प्रमाणपत्र की सार्वजिन के आधार पर शासन/महानिदेशक, विभिन्न विभाग एवं प्रशिक्षण, उ020 लखनऊ के माध्यम से की जायेंगी है। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशक से ही निर्दिष्ट होगी।
 19. संविदा पर नियुक्त विभिन्न विभागों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
 20. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- नोट- साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अर्थवर्षीयों को किसी भी प्रकार कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**

पृष्ठ संख्या 760 / उपदिनांक

2019,

प्रधानाचार्य,
राजकीय प्रतिष्ठान काशी, उ.
आजमगढ़।

प्रतिष्ठान शिक्षक-विज्ञान को सूचनाएं एवं आग्रहों का संदर्भ के तहत -

1. प्रमुख शिक्षक, नगर प्रवेश आसन शिक्षिका के रूप में नियुक्ति -
2. सहोपाध्यक्ष, शिक्षक शिक्षण एवं प्रशिक्षण, आजमगढ़।
उक्त शिक्षिका को नियुक्ति के लिए प्रमुख, आजमगढ़ को सूचनाएं की जा रही हैं कि प्रमुख, आजमगढ़, राजकीय प्रतिष्ठान काशी, आजमगढ़ को सूचनाएं के तहत सूचित किया जा रहा है।
3. प्रमुख शिक्षिका, राजकीय प्रतिष्ठान काशी, आजमगढ़।
4. प्रमुख शिक्षिका, राजकीय प्रतिष्ठान काशी, आजमगढ़।
5. प्रधानाचार्य, आजमगढ़, आजमगढ़ / आजमगढ़ / आजमगढ़ / आजमगढ़ / आजमगढ़।
6. प्रधानाचार्य, आजमगढ़, राजकीय प्रतिष्ठान काशी, आजमगढ़ को सूचनाएं के तहत सूचित किया जा रहा है।
7. प्रधानाचार्य, आजमगढ़, राजकीय प्रतिष्ठान काशी, आजमगढ़।
8. प्रधानाचार्य, आजमगढ़, राजकीय प्रतिष्ठान काशी, आजमगढ़।

प्रधानाचार्य,
राजकीय प्रतिष्ठान काशी, उ.
आजमगढ़।